मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

ई - ब्लाक, पुराना सचिवालय, भोपाल - 462001 फोन:540989

क्रमांक - म.प्र.रा.अ.आ./2/1996/01

भोपाल

1 जनवरी, 1997

आमुख

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्ज़ा दिया गया है। यह कानून 23 अक्टूबर, 1996 से लागू हो गया है।

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग को इस कानून के तहत अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की जो जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं, उन्हें निभाने के लिए आयोग को पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। इस कानून के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए इसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

एम.ए.खान

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

भोपाल, दिनांक 19.3.1997

क्रमांक - मध्यप्रदेश रा.अ.आ/2/1997/1323- मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) का धारा 8 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश राज्य अल्प संख्यक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996'' होगा।

2- ये विनियम दिनांक 31 मार्च, 1997 से प्रवृत्त होंगे।

(2) परिभाषाएं

(एक) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996

(दो) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष.

(तीन) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य.

(चार) ''सचिव'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सचिव.

(पांच) ''आयोग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग.

(छः) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार.

(3) आयोग के मुख्यालय

आयोग का मुख्यालय भोपाल होगा।

(4) सम्मिलनों का स्थान

सामान्यतः आयोग का सम्मिलन उसके मुख्यालय भोपाल में होगा और उसकी बैठकें भोपाल स्थित उसके कार्यालय में होंगी, तथापि आयोग अपने स्व-विवेक से अपने सम्मिलन और बैठकें मध्यप्रदेश के किसी अन्य स्थान में, यदि वह ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे, कर सकेगा।

(5) सम्मिलनों की नियतकालिकता

(क) आयोग सामान्यतः अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक माह में अपनी कम से कम एक बैठक करेगा जिसकी तिथि बैठक से एक सप्ताह पूर्व अध्यक्ष द्वारा तय की जायेगी। स्वप्रेरणा से अथवा किसी भी एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर किसी विनिर्दिष्ट मामले पर विचार करने के लिए अध्यक्ष आयोग को विशेष बैठक बुलाये जाने का निर्देश दे सकेगा।

(ख) बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य की उपस्थिति से होगी।

(6) कार्यसूची

(क) आयोग का सचिव अध्यक्ष के परामर्श से आयोग की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची तैयार करेगा और उस पर सचिव की टीप तैयार करेगा जो तथासंभव अपने आप में पूर्ण होगी। कार्यसूची से संबंधित विनिर्दिष्ट नस्तियां सुलभ संदर्भ के लिए आयोग को उपलब्ध करायी जायेंगी। सामान्यतः कार्यसूची और सचिव की टिप्पणियां बैठक से कम से

कम दो दिन पूर्व अध्यक्ष और सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी, तथापि अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची के अतिरिक्त अन्य विषय पर बैठक में विचार किया जा सकेगा।

(ख) आयोग यदि किसी मामले की सुनवायी के लिए बैठक करता है, तो बैठक के दिन मामला सूची तैयार कर प्रकाशित की जायगी।

(ग) तथापि आयोग ऐसे मामलों पर विचार नहीं करेगा जो-

क- न्यायालय के विचाराधीन हैं

ख- जो अस्पष्ट हैं या बिना किसी नाम के या छदमनाम से प्रस्तुत किये गये हैं।

ग- जो तुच्छ स्वरुप के है या आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर के हैं।

(7) आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले अभ्यावेदन या मामले पर कोई फीस या प्रभार नहीं लिया जायगा।

(8) सामान्यतः आयोग को अभ्यावेदन/मामला लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तथापि स्व-विवेक से आयोग तार द्वारा अथवा फैक्स से भेजे गए अभ्यावेदन/मामले स्वीकार कर सकेगा।

(9) आयोग को यह अधिकार होगा कि वह किसी अभ्यावेदन या मामले को बिना किसी सुनवाई के आरंभ में ही खारिज कर दे।

(10) अध्यक्ष जहां उचित समझे प्रस्तुत अभ्यावेदन/मामले को सरकार को अथवा संबंधित अधिकारी को उनकी टिप्पणी प्राप्त करने के लिये भेज सकेगा और उस पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिश सरकार को भेज सकेगा।

(11) आयोग किसी मामले की सुनवायी के लिये बैठक करता है तो मामले से संबंधित अभिलेखों की प्रतियां आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करने पर किसी भी आवेदक को उपलब्ध होंगी।

(12) आयोग के अध्यक्ष या अध्यक्ष की सहमति से सदस्य मौके पर जाकर किसी भी विषय का अध्ययन कर सकेंगे। ऐसे अध्ययन की संक्षिप्त रिपोर्ट आयोग के विचारार्थ रखी जायगी और यदि आयोग आवश्यक समझे तो ऐसी रिपोर्ट सरकार को अग्रेषित की जायगी।

(13) बैठक का कार्यवृत

(क) आयोग की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत बैठक के तुरंत बाद सचिव अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायगा। अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद अनुमोदित कार्यवृत यथाशीघ्र आयोग के सदस्यों और सरकार को प्रेषित किया जायगा।

(ख) ऐसा प्रत्येक कार्यवृत अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद आयोग के सचिव द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित कर सुसंगत नस्ती में रखा जायेगा।

(14) अनुवर्ती कार्यवाही

बैठक के कार्यवृत पर अनुवर्ती कार्यवाही अध्यक्ष के निर्देशानुसार की जायगी और उसका विवरण आयोग की अगली बैठक में सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जायगा।

(15) वार्षिक प्रतिवेदन

एक अप्रैल से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिये आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें वर्ष के दौरान आयोग के कार्यकलापों का विवरण, महत्वपूर्ण पत्राचार और सरकार को की जाने वाली सिफारिशें शामिल होंगी। प्रतिवेदन की मूल प्रति पर अध्यक्ष और सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और सचिव अपनी सारभूत टिप्पणी के साथ इसे आगामी वर्ष के मई माह तक सरकार को प्रस्तुत करेंगे। वार्षिक प्रतिवेदन की मूल प्रति समुचित रूप से परिरक्षित की जायगी।

(16) विशेष प्रतिवेदन

वर्ष के दौरान कभी भी किसी विशिष्ट विषय पर, उसके महत्व को देखते हुये, आयोग सरकार को विशेष प्रतिवेदन भेज सकेगा। ऐसा प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद सचिव द्वारा सरकार को भेजा जायगा।

(17) वार्षिक प्रतिवेदन के मुद्रण

वार्षिक प्रतिवेदन और विशेष प्रतिवेदन के यथाशीघ्र मुद्रण के लिये सचिव उत्तरदायी होगा और यथासंभव शीघ्र इनके मुद्रण की व्यवस्था करेगा।

आयोग के आदेशानुसार
(एस.ए. खान)
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19.3.97

क्रमांक - म.प्र.रा.अ.आ./2/97/1324 - भारा के संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996 का हिन्दी अनुवाद प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(एम.ए. खान)
सचिव

MADHYA PRADESH STATE MINORITIES COMMISSION

E-Block, Old Secretariat, Bhopal-462 001 Phone : 540989

No/MP SMC/2/1997 **Bhopal, Date - 1.1.1997**

Preface

For the first time statutory status has been conferred on the Madhya Pradesh State Minorities Commission by the enactment of the Madhya Pradesh Rajya Alpsankhyak Ayog Adhiniyam, 1996. The Act has come into force from 23 October, 1996.

The Act lays down the responsibilities entrusted to the Madhya Pradesh State Minorities Commission to safeguard the interest of the minority Communities of the State and clothes it with adequate powers to discharge them. The Act is being published in a booklet form for the information of the general public.

By order
M.A. Khan
Secretary
Madhya Pradesh Rajya
Alpsankhyak Ayog, Bhopal

THE MADHYA PRADESH ALPASANKHAYAK AYOG, ADHINIYAM 1996
WITH PROCEDURAL REGULATIONS

MADHYA PRADESH ALPASANKHAYAK AYOGA, BHOPAL

No. MPRAA/2/97/1323 BHOPAL, **Dated 19.3.97**

In exercise of the powers conferred by Section A, sub-Section 2 of the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhayak Ayog Adhiniyam, 1996 (No. 15 of 1996). The Madhya Pradesh Rajya Alpasankhayak Ayog (Madhya Pradesh State Minorities Commission) hereby frames the following regulations, namely:

1. Short title and commencement

(i) These regulations may be called the Madhya Pradesh Minorities Commission (Procedure) Regulations, 1996.

(ii) These regulations will come into force with effect from the 31st day of March, 1997.

2. Definitions

(a) 'Act' means the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhayak Ayoga Adhiniyam, 1996.

(b) 'Chairman' means the Chairman of the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhayak Ayoga.

(c) 'Member' means a Member of the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhayak Ayoga.

(d) 'Secretary' means the Secretary of the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhayak Ayoga.

(e) 'Commission' means the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhayak Ayoga.

(f) 'Government' means the Government of Madhya Pradesh Bhopal.

3. Head Quarters of the Commission

The Head Quarters of the Commission shall be E-Block, Old Secretariat, Bhopal- 462001.

4. Place of Meeting

The Commission shall normally meets at its headquarters at Bhopal and its Sitting will be held in the office of the Commission. However the Commission at its discretion may

sit at any other place in Madhya Pradesh provided if considers it necessary and expedient to do so.

5. **Periodicity of meeting**

(a) The Commission shall ordinarily hold at least one meeting every month on a date other than a holiday. The date of the meeting shall be fixed by the Chairman at least a week prior to the date of meeting. The Chairman may at his own volition or on a requisition made by a member or members direct the convening of a meeting to consider any specific matter.

(b) The quorum for the meeting shall comprise the Chairman and at least one member.

6. **Agenda**

(a) The Secretary of the Commission in consultation with the Chairman shall draw up the Agenda for each meeting and have a note prepared which, as possible shall be self contained. Files connected with the items on the Agenda shall be made available to the Commission for ready reference. Normally the agenda and the note of the Secretary shall be circulated to the Chairman and the Member's at least two days before the date of the meeting. However, the meeting may consider any other matter not included in the agenda with the permission of the Chairman.

(b) When the Commission convenes to hear any case, a cause list shall be prepared and exhibited at the place of sitting.

(c) However, the Commission shall not consider matter which is:

(i) Subjudice in any court of Law:

(ii) Vague, anonymous or pseudonymous:

(iii) Frivolous or outside the purview of the Commission.

7. No fees shall be chargeable on any representation or case filed before the Commission.

8. Ordinarily a representation or case will be presented to the Commission in writing. However, in own discretion the Commission may accept a representation or case sent to it by telegram or fax.

9. The Commission shall have the right to dismiss any representation or case in limine.

10. The Chairman, may whenever he deems proper forward to the Government or officers concerned of the Government for their comments any representation or case and make his recommendations after due consideration of such comments.

11. When the Commission sits to hear any case copies of documents connected with the case shall be made available to any applicant on payments of fees to be prescribed by the Commission.

12. The Chairman or with the consent of the Chairman any Member may make a spot inspection to study any matter and where such a study is undertaken, a brief report shall be prepared for the consideration of the Commission. The Commission may farward such

sit at any other place in Madhya Pradesh provided if considers it necessary and expedient to do so.

5. **Periodicity of meeting**

(a) The Commission shall ordinarily hold at least one meeting every month on a date other than a holiday. The date of the meeting shall be fixed by the Chairman at least a week prior to the date of meeting. The Chairman may at his own volition or on a requisition made by a member or members direct the convening of a meeting to consider any specific matter.

(b) The quorum for the meeting shall comprise the Chairman and at least one member.

6. **Agenda**

(a) The Secretary of the Commission in consultation with the Chairman shall draw up the Agenda for each meeting and have a note prepared which, as possible shall be self contained. Files connected with the items on the Agenda shall be made available to the Commission for ready reference. Normally the agenda and the note of the Secretary shall be circulated to the Chairman and the Member's at least two days before the date of the meeting. However, the meeting may consider any other matter not included in the agenda with the permission of the Chairman.

(b) When the Commission convenes to hear any case, a cause list shall be prepared and exhibited at the place of sitting.

(c) However, the Commission shall not consider matter which is:

(i) Subjudice in any court of Law:

(ii) Vague, anonymous or pseudonymous:

(iii) Frivolous or outside the purview of the Commission.

7. No fees shall be chargeable on any representation or case filed before the Commission.

8. Ordinarily a representation or case will be presented to the Commission in writing. However, in own discretion the Commission may accept a representation or case sent to it by telegram or fax.

9. The Commission shall have the right to dismiss any representation or case in limine.

10. The Chairman, may whenever he deems proper forward to the Government or officers concerned of the Government for their comments any representation or case and make his recommendations after due consideration of such comments.

11. When the Commission sits to hear any case copies of documents connected with the case shall be made available to any applicant on payments of fees to be prescribed by the Commission.

12. The Chairman or with the consent of the Chairman any Member may make a spot inspection to study any matter and where such a study is undertaken, a brief report shall be prepared for the consideration of the Commission. The Commission may farward such

मध्यप्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 110/54/2/97 भोपाल, दिनांक 27.1.97

प्रति,

शासन के प्रमुख सचिव,
शासन के समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 दिनांक 23 अक्टूबर, 1996 से प्रभावशील हो गया है। तदनुसार नये आयोग का गठन उसी दिनांक से हो गया है। आयोग का मुख्यालय भोपाल है।

आयोग को सौंपे गये दायित्व में जनशिकायत निवारण को विशेष महत्व दिया गया है और आयोग सक्षमतापूर्वक अपने दायित्व निभा सके इसलिये उसे दीवानी न्यायालय के पूरे अधिकार सौंपे गये हैं। आयोग प्रदेश के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकेगा और शपथ पर उसका परीक्षण कर सकेगा। वह शपथ पर साक्ष्य ग्रहण कर सकेगा अथवा साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी कर सकेगा। आयोग किसी भी दस्तावेज और प्रकरण को पेश करने का आदेश दे सकेगा और किसी भी कार्यालय के किसी भी लेख, अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि मांग सकेगा।

अधिनियम की धारा 9 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं।

राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, सांविधानिक संस्था और प्रदेश की विधानसभा द्वारा बनाये गये कानूनों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधी उपबंधों पर अमल करना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये किये गये उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सिफारिशें करना।

आयोग अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी रक्षा के किये गये उपायों से वंचित किये जाने के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकेगा और ऐसे मामलों को प्रदेश सरकार के प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अल्पसंख्यकों

के विरुद्ध किसी विभेद के कारण पैदा होने वाली समस्याओं का आयोग अध्ययन करवायेगा और उन्हें दूर करने के उपाय सुझायेगा। वह ऐसे उपाय भी सुझा सकेगा जो प्रदेश सरकार द्वारा किये जाने चाहिये।

आयोग अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करेगा।

आयोग द्वारा की गयी कोई सिफारिश यदि मध्यप्रदेश से संबंधित किसी भी मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की गयी सिफारिश से भिन्न हो तो उस दशा में प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिश मानी जायेगी।

आयोग को सौंपे गये दायित्वों को पूरा करने में आप कृपया अपना पूरा-पूरा सहयोग दें और इस बात की सतर्कता बरतें कि आयोग को अपने दायित्व के निर्वहन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

प्रमुख सचिव
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
4. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर।
7. सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. सचिव, मानव अधिकार आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण वि.
भोपाल

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
वि.पू.भु./04 भोपाल-2001

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 108/भोपाल/2001

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 307) भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मई 2001 - ज्येष्ठ 8, शक 1923

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2001

क्र. एफ 11-18-98-चौवन-2.- मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 2 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मध्यप्रदेश के मूल निवासी जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.आर. भगत, प्रमुख सचिव

Bhopal, the 29th May 2001

No. F-11-18-98-LIV-2.- In exercise of the powers conferred by sub clause (ii) of clause (c) of Section 2 of the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhyak Ayog Adhiniyam, 1996 (No. 15 of 1996), the State Government hereby notify the original residence of Madhya Pradesh Jain Community as the Minority Community for the purposes of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
D.R. BHAGAT, Principal Secy.